झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान– सभा

चतुर्दश– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 13 श्रावण, 1936 [श0] / 04 अगस्त, 2014 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
22–	का– 02	श्री संजय कु0 सिंह यादव	भूमि उपसमाहर्ता। का पदस्थापन।	कार्मिक	25.07.2014
23–	ग– 04	श्री अरूप चटर्जी	भोज भत्ता बढ़ाना।	गृह	25.07.2014
24–	टन– 03	श्री चन्द्रिका महथा	पर्यटन स्थल विकसित करना।	पर्यटन	25.07.2014
25–	टन– 02	श्रीमती विमला प्रधान	पर्यटन भवन चालू करना।	पर्यटन	25.07.2014
26–	का– 03.	श्री कमलेश उराँव	अनुमंडल के क्षेत्र में सुधार।	कार्मिक	25.07.2014
27–	ग– 03	श्री नीलकण्ठ सिंह मुंडा	आश्रितो को मुआवजा देना।	गृह	25.07.2014
28–	का– 04	श्री बड़कुवार गागरई	भवन का निर्माण।	कार्मिक	26.07.2014

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
उत्तर संलग्न 29—	वि— 01	श्री अरूप चटर्जी	निवेशकों की राशि लौटाना।	वित्त	25.07.2014
उत्तर संलग्न 30—	वि— 02	श्री माधवलाल सिंह	सेल टैक्स नम्बर पर रोक लगाना।	वित्त	25.07.2014
उत्तर संलग्न 31—	टन— 04	श्री उमाशंकर अकेला	पर्यटन स्थल घोषित करना।	पर्यटन	25.07.2014
उत्तर संलग्न 32—	का— 01	श्री अरूण मण्डल	सही मतदाताओं को चिन्हित करना।	कार्मिक	25.07.2014
उत्तर संलग्न 33—	टन— 01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	योजनाओं को पूर्ण करना।	पर्यटन	25.07.2014
उत्तर संलग्न 34—	का— 05	श्री फूलचन्द मण्डल	मुकदमा वापस लेना।	कार्मिक	26.07.2014
उत्तर संलग्न 35—	ग— 01	श्री विनोद कुमार सिंह	हत्यारों को गिरफ्तार करना।	गृह	25.07.2014
उत्तर संलग्न 36—	ग— 02	श्री चन्द्रिका महथा	पुलिस उपाधीक्षक का पदस्थापना।	गृह	25.07.2014

राँची,
दिनांक— 04 अगस्त, 2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

क्र० ५०३०-

ज्ञापांक— झा0वि0स0(प्रश्न)—03/07.......1536.......... /वि0स0, रांची, दिनांक— 30-07-14

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/14

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रॉंची।

ज्ञापांक— झा0वि0स0(प्रश्न)—03/07.......1536.......... /वि0स0, रांची, दिनांक— 30-07-14

प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव, एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न प्रभारी) को सूचनार्थ प्रेषित।

30/07/14

उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रॉंची।

30/07/14

सुभाष

(22)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– का0–02 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में भूमि उप समाहर्त्ता का पदस्थापन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित हुसैनाबाद अनुमण्डल में भूमि उप समाहर्त्ता के पदस्थापन नहीं होने से आम जनता के कार्य सम्पादन में बाधा होती है;	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हुसैनाबाद के पद पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों की कमी के कारण नियमित पदस्थापन नहीं हो सका है, परन्तु उपायुक्त, पलामू द्वारा कार्यकारी व्यवस्था के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद के पद पर पदस्थापित श्री शिवनारायण यादव, झा0प्र0से0 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हुसैनाबाद का अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य सम्पादन कराया जा रहा है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में भूमि उप समाहर्त्ता का पदस्थापन करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों की कमी के कारण वर्त्तमान में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हुसैनाबाद के पद पर नियमित पदस्थापन करना सम्भव नहीं है। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के पश्चात पदाधिकारी उपलब्ध होने पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हुसैनाबाद के पद पर नियमित पदस्थापन करने की कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–02/2014 का॰ 7670 / राँची, दिनांक 01 अगस्त, 2014

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1408 वि.स. दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुमन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(23)

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य पुलिस के सिपाही/हवलदार को भोज भत्ता के रूप में 1000.00 रूपया ही दिया जाता है जबकि वर्ष 2011 से बिहार राज्य में भोज भत्ता के रूप में 2000.00 रूपया दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार राज्य के तौर पर इस राज्य में भी उक्त भत्ता को 2000.00 रूपया करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	पुलिस मुख्यालय से केन्द्र सरकार के सी.पी.एम.एफ. व अन्य सुरक्षा बलों को देय भत्तों की गहण समीक्षोपरान्त भोज भत्ता में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारोपरान्त सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–24/2014–5259 राँची, दिनांक–03/08/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.14

सरकार के उप सचिव।

(24)

श्री चन्द्रिका महथा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड में देवपहाड़ी मंदिर एवं जमुआ प्रखण्ड में शिव मंदिर 200 वर्ष पुराना होने के कारण पर्यटक स्थल के रूप में विभाग के उदासीन रवैये के चलते जीर्ण–शीर्ण अवस्था में अवस्थित है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड में देवपहाड़ी एवं जमुआ प्रखण्ड में शिव मंदिर काफी पुराना है तथा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है।
2.	क्या यह बात सही कि खण्ड–1 में वर्णित मंदिरों में पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आवागमन एवं विवाह समारोह सम्पन्न होने के कारण पी०सी०सी० पथ, समुदायिक भवन, धर्मशाला, शुलभ शौचालय निर्माण, विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर एवं पेयजल सुविधा विभाग द्वारा अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है ;	2.	वस्तुस्थिति यह है कि I. देवरी प्रखण्ड के देवपहाड़ी में सामुदायिक भवन एवं विद्युत उपलब्ध है तथा पहुँच पथ जर्जर अवस्था में हैं। II. जमुआ प्रखण्ड के शिव मंदिर सामुदायिक भवन एवं विवाह भवन है तथा पहुँच पथ जर्जर है। III. उक्त दोनों स्थलों में जेनरेटर आदि की व्यवस्था नहीं है तथा सुलभ शौचालय एवं धर्मशाला नहीं है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित मंदिरों को पूर्ण रूप से पर्यटक स्थल में विकसित करने हेतु खण्ड–2 में वर्णित समस्याओं का समाधान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	वस्तुस्थिति यह है कि I. देवरी प्रखण्ड में देवपहाड़ी के पर्यटकीय विकास से संबंधित आश्वासन संख्या 73/2014 के अनुपालन हेतु उपायुक्त, गिरिडीह से विभागीय पत्रांक 988, दिनांक 10.06.2014 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध है किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है। II. जमुआ प्रखण्ड में शिव मंदिर के पर्यटकीय विकास की कोई योजना वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/41/2014 1219 /राँची, दिनांक 1/8/14 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 1406/वि०स०, दिनांक 25/07/2014के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(25)

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा में रामरेखा धाम धार्मिक स्थल है जिसमें कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा में लाखों की संख्या में भक्त दर्शनार्थ पहुँचते हैं परन्तु वहाँ शौचालय, पीने के पानी, अतिथि भवन ऐसी सुविधाओं का अभाव है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि शौचालय, पीने के पानी, अतिथि भवन की सुविधा सामान्य दिनों के लिये पर्याप्त है। मेले के अवसर पर प्रशासन के द्वारा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि I.T.D.C. भारत सरकार के द्वारा पर्यटन भवन का निर्माण हुआ था परन्तु जिला प्रशासन या रामरेखा विकास समिति को भवन सौंपा नहीं गया जिसके कारण भवन की स्थिति देखभाल के अभाव में जर्जर हो गया है ;	2.	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2002–03 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के Project Code 4237 के अन्तर्गत सिमडेगा जिला के रामरेखाधाम में एक टूरिस्ट कम्पलेक्स का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। विभागीय आदेश ज्ञापांक 1128, दिनांक 25.07.2012 के द्वारा उक्त कम्पलेक्स को उपायुक्त, सिमडेगा (जिला प्रशासन) को प्रबंधन एवं संचालन हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रामरेखा धाम का विकास करने के साथ ही जर्जर भवन का मरम्मति कर रामरेखा धाम विकास समिति या जिला प्रशासन को भवन सौंपने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	उपर्युक्त खण्ड 1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 40 / 2014 1215 /राँची, दिनांक 01/8/14 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 1407 / वि०स०, दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय स०वि०स० श्री कमलेश उराँव द्वारा दिनांक 04.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–03 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–01.02.2014 को गुमला जिला में नया अनुमण्डल सृजित किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। गुमला जिलान्तर्गत चैनपुर एवं बसिया अनुमण्डल दिनांक–01.03.2014 को अधिसूचित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि नये सृजित अनुमण्डल चैनपुर में शामिल रायडीह प्रखण्ड भौगोलिक, प्रशासनिक एवं जनहित के दृष्टि से अव्यवहारिक व न्याय संगत नहीं है;	उपायुक्त, गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रायडीह प्रखण्ड के स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों के मांग के आलोक में चैनपुर अनुमण्डल में रायडीह प्रखण्ड का होना उचित प्रतीत नहीं होता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चैनपुर अनुमण्डल से रायडीह प्रखण्ड को पूर्ववत गुमला अनुमण्डल में रखते हुए चैनपुर अनुमण्डल की त्रुटि को सुधार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध में उपायुक्त, गुमला के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, किन्तु प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा अप्राप्त है। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रशासनिक व्यवहारिकता एवं अन्य वैधानिक बिन्दुओं के परीक्षण हो जाने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–40/2014 का०–2699/राँची, दिनांक– 1/8/14

प्रतिलिपि– सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1371, दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2014

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला में गत 5 वर्षो के दौरान 150 लोगों की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गई है ;	खूँटी जिला में विगत पाँच वर्षो के दौरान उग्रवादियों द्वारा 136 आम नागरिको की हत्या की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक परिवार के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी एवं मुआवजा राशि के भुगतान का प्रावधान है जो अब तक पीड़ित परिवार को नही मिला है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खूँटी जिला में उग्रवादी हत्या मेंम रने वाले परिवारों को मुआवजा राशि एवं सरकारी नौकरी दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अभी तक 18 (अठारह) नागरिकों को मुआवजा एवं 03 (तीन) नागरिकों को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी है। शेष मामले प्रक्रियाधीन हैं।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स०(02)–10 / 2014–5243 राँची, दिनांक–03/08/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.14

सरकार के उप सचिव।

श्री अरूप चटर्जी, सदस्य, विधान सभा द्वारा चालू चतुर्दश (मानसून) सत्र में दिनांक 04.08.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– 01 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में 40 (चालीस) नन् बैंकिंग / चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा राज्य के लोगों से निवेश के नाम पर 2000/– करोड़ रुपया की गाढ़ी कमाई का गबन कर लिया गया है ?	उपायुक्तों से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों में नन् बैंकिंग कम्पनियों के विरूद्ध 105 प्राथमिकि दर्ज कर कार्रवाई की गई है । कुल ठगी की राशि के विषय में जानकारी पूर्ण नहीं है । इस संबंध में झारखण्ड के शेष उपायुक्तों से जाँच कराया जा रहा है एवं प्रतिवेदन की माँग की गई है । ठगी की राशि का आकलन कराया जा रहा है । संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न है ।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त गबन हुए राशि को निवेशकों को लौटाते हुए इस ठगी काण्ड पर उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब ?	गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थाओं का क्रिया–कलाप भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं कम्पनी निबंधक द्वारा नियंत्रित किया जाता है क्योंकि ये ही इनके नियामक है । इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है । अतः ठगी की राशि को निवेशक को लौटने का दायित्व राज्य सरकार पर नहीं है ।

झारखण्ड सरकार

सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

ज्ञापांक:सां0वि0ता0प्र0:12/2014 568 / राँची, दिनांक 02/08/2014

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0– यथोक्त ।

2/8/14

(नरेन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव ।

जिलावार सूचना उपायुक्तयों द्वारा झारखण्ड राज्य में कार्यरत चिट–फण्ड कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि दर्ज की संख्या की सूची :–

क्रमांक	जिला का नाम	प्राथमिकि दर्ज की गई कम्पनी की संख्या	अभियुक्ति
1.	दुमका	01 कम्पनी के विरूद्ध प्राथमिकि	
2.	पलामू	28 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
3.	कोडरमा	07 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
4.	धनबाद	13 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
5.	पाकूड़	02 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
6.	देवघर	27 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
7.	गिरिडीह	05 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
8.	सिमडेगा	02 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
9.	गोड्डा	07 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
10.	खूँटी	12 कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि	
11.	हजारीबाग	01 कम्पनी के विरूद्ध प्राथमिकि	
	कुल–	**105 कम्पनी के विरूद्ध प्राथमिकि दर्ज की गई है ।**	

2/8/14

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव ।

(30)

श्री माधव लाल सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2014 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– वि0–02 का उत्तर

प्रश्न श्री माधव लाल सिंह, माननीय स0वि0स0	उत्तर श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत विशेष प्रमण्डल बोकारो द्वारा विधायक से 2 लाख तक का कार्य कराने सेलटैक्स नम्बर की मांग की जा रही है?	वाणिज्य–कर विभाग से संबंधित नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित विधायक मद से 2 लाख रूपये तक का काम आम सभा द्वारा चयनित अभिकर्ता द्वारा कराया जाता है?	वाणिज्य–कर विभाग से संबंधित नहीं है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 तथा 2 में वर्णित आम सभा से चयनित अभिकर्ता के पास सेलटैक्स नम्बर नहीं होने से विकास कार्य बाधित है?	वाणिज्य–कर विभाग से संबंधित नहीं है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित विधायक मद से 2 लाख तक कार्य कराने हेतु सेलटैक्स नम्बर की मांग समाप्त कर पूर्व की भांति कार्य कराने का आदेश देना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8(5)(d) के आलोक में वैसे कार्य संवेदक (Works Contractor) जिनके द्वारा 25,000/– रूपये या उससे अधिक का कार्य संविदा (Works Contractor) का कार्य संपादित किया जाता है, उन्हें वाणिज्य–कर विभाग के संबंधित अंचल में निबंधन प्राप्त करना अनिवार्य है।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांकः–वा0कर/वि0 मं/18/2014 –2600 दिनांकः– 1/8/14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक 1412 दिनांक 24.7.2014 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.14

(युगल किशोर)
अपर आयुक्त सह–विशेष–सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(31)

श्री उमा शंकर अकेला, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि हज़ारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण के पाण्डेवारा में भव्य विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना की है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही कि इस मंदिर के प्रांगण में हजारों लड़के–लड़कियों की शादी हर वर्ष होती है ;	2.	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है, कि मंदिर प्रांगण में काफी संख्या में लड़के–लड़कियों की शादी हर वर्ष होती है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर में सैकड़ों लोग प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा अर्चना करते है ;	3.	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विश्वकर्मा मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	पर्यटन विभाग किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/42/2014 1218 /राँची, दिनांक 1/8/14 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–1376/वि०स०, दिनांक–25.07.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(32)

माननीय स०वि०स० श्री अरुण मंडल द्वारा दिनांक 04/08/2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या का - 01 से संबंधित उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः उधवा, राजमहल एवं साहेबगंज ग्रामीण में वर्ष 2011-12 में 40% मतदाता की बढ़ोतरी की गयी है और वर्ष 2014 में भी गलत रुप से मतदाता की बढ़ोतरी हुई है ;	उत्तर नकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि 2011-12 में 01-राजमहल विधान सभा क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत उधवा, राजमहल एवं साहेबगंज प्रखण्ड पड़ते हैं, में मतदाताओं की संख्या में मात्र 1.23 % की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2014 में भी इस विधान सभा क्षेत्र में मात्र 1.05 % की बढ़ोतरी हुई है तथा इसमें कोई अनियमितता नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ सं0-300, साहेब टोला के मतदाता सूची में अंकित मतदाता पहचान सं0- **MWB 6554844** रोबिना खातुन, मतदाता पहचान सं0- **MWB 655485** अंगूरा खातून, मतदाता पहचान सं0-**MWB 6554828** सालाहा खातून, मतदाता पहचान सं0- **MWB 6469001** माबी खातून के नाम से बना है जो विवेकानन्द उच्च विद्यालय, श्रीधर, प्रखण्ड - उधवा की नवम् एवं दशम् वर्ग की छात्रा हैं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है ;	उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। इन चारो मतदाताओं का नाम 01-राजमहल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 300, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, श्रीधर कॉलोनी नं0-9 के अनुभाग संख्या 1 के क्रमांक 967, 968, 965 तथा 941 पर दर्ज किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों के शिकायत पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा, साहेबगंज द्वारा मतदाता स्थल जॉच कराया, जिसमें सूची में कम उम्र के मतदाता होने एवं बी0एल0ओ0 की अनियमितता पायी गयी ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। मतदाता सूची में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है। वस्तुतः मतदाता सूची में नाम निबंधन करने हेतु निर्धारित अवधि में ही आवेदकों के द्वारा आवेदन समर्पित किये गये थे तथा कतिपय **BLOs** के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा पूर्ण जॉचोपरान्त ही योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किये गये हैं।
4	यदि उपरोक्त, खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार साहेबगंज जिला के राजमहल विधानसभा क्षेत्र जो गंगा नदी किनारे उनसर्वे क्षेत्र के मतदाताओं का खतियानी जॉच कराकर सही मतदाता को चिन्हित कराने का विचार रखती है यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि मतदाता सूची में निबंधन के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाती है।

18/7/2014

(शशि भूषण उपाध्याय)
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार

<u>मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, राँची।</u>

ज्ञापांक 01/ निर्वा0–वि0स0प्र0–17–2/2014.....4021..... राँची/दिनांक:–...02.../08/2014

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0 1409 वि0स0 राँची दिनांक 25/07/2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ 200 प्रतियों में प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री गलेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–टन 01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज एग्लों इंडियन समुदाय का विश्वविख्यात गाँव है जहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएँ ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात भी सही है कि मैक्लुस्कीगंज के लपरा एवं कोनका ग्राम में दस–दस एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को प्राप्त है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात भी सही है कि मैक्लुस्कीगंज में पर्यटन सूचना केन्द्र का निर्माण हो चुका है तथा उसके बगल में दो वर्ष पूर्व तत्कालीन पर्यटन मंत्री महोदया द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए शिलान्यास किया जा चुका है जिसका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया जा सका है ;	3.	वस्तुस्थिति यह है कि I. पर्यटन सूचना केन्द्र का निर्माण हो चुका है तथा इसे पी०पी०पी० के आधार पर संचालित करने हेतु निजी संचालक के चयन हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची को सौपने के प्रस्ताव एवं संलेख पर राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। II. होटल एवं रेस्टोरेंट की योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पर्यटन विभाग द्वारा उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	यथा उपर्युक्त कंडिका (3) में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/39/2014 1226 /राँची, दिनांक 02/08/14 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 1375/वि०स०, दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/8/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री फूलचन्द मंडल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–का–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड (वनांचल) आंदोलन में राज्य भर के हजारो आंदोलनकारियों पर तत्कालीन सरकार द्वारा मुकदमा दायर की गई थी, जो अभी तक वापस नहीं किया गया है ;	झारखण्ड आंदोलन से जुड़े मुकदमें की वापसी के लिए राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था एवं पीड़ितों से आवेदन प्राप्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त सभी जिला पदाधिकारियों को अलग से पत्र प्रेषित कर झारखण्ड आन्दोलन से जुड़े कांडों की सूची प्राप्त की गई। सभी जिलों से प्राप्त सूची में उल्लेखित कुल 426 (चार सौ छब्बीस) मुकदमों की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई। समीक्षा के उपरान्त कुल 86 मुकदमों को वापसी हेतु अस्वीकृत किया गया और उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा कुल 340 मुकदमों को वापस करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कुल 3216 आन्दोलनकारी अभियुक्त थे।
2	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के पक्ष में घोषणा के बाबजूद भी उन पर दायर मुकदमा को आज तक नही हटाया गया तथा न ही उनलोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया गया है ;	गृह विभाग के संकल्प संख्या–2108, दिनांक–07.05.2012 द्वारा झारखण्ड/वनांचल आन्दोलकारी को नौकरी, पेंशन आदि सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है। इन आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग गठित है। आयोग के द्वारा चिन्हितीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस आयोग का कार्यकाल 31.05.2015 तक विस्तारित है। झारखण्ड आन्दोलन से संबंधित गुवा थाना कांड सं०–09/80, दिनांक–08.09.80 के शहीदों के कुल आठ आश्रितों को सरकारी सेवा में चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की जा चुकी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों पर से अविलम्ब मुकदमा वापस लेते हुये उचित सम्मान देना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित मुकदमा की वापसी हेतु अभी भी यदि अभ्यावेदन/अनुशंसा प्राप्त होते हैं, तो इनकी समीक्षा गुण–दोष के आधार पर करके समुचित कार्रवाई की जायेगी और झारखण्ड/वनांचल चिन्हितीकरण आयोग से आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के बाद राज्य सरकार के संकल्प संख्या–2108, दिनांक–07.05.2012 के अनुरूप सुविधायें प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–904/2014–5246/ राँची, दिनांक–03/08/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.14

सरकार के उप सचिव।

(35)

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 18 जून, 2013 को गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड के महेश किशोर ग्राम में मीना हांसदा स्कुली छात्रा की हत्या कर दी गयी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आज एक वर्ष बाद भी हत्यारे की शिनाख्त कर गिरफ्तारी नहीं हो पायी है ;	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में इस घटना से संबंधित संदिग्धों क्रमशः रबिन्द्र यादव (उम्र करीब 19 वर्ष) पिता–जागेश्वर यादव, किशोर कुमार (उम्र करीब 22 वर्ष), पिता–सोमर यादव, ब्रह्मदेव यादव (उम्र करीब 27 वर्ष), पिता–सुरेश यादव, नन्द किशोर यादव (उम्र करीब 20 वर्ष), पिता–नथु यादव, बालेश्वर यादव (उम्र करीब 19 वर्ष), पिता बिहारी यादव, चन्द्रशेखर यादव (उम्र करीब 20 वर्ष), पिता–डुगन यादव, दशरथ यादव (उम्र करीब 25 वर्ष), पिता–डुगन यादव, नागेश्वर यादव (उम्र करीब 30 वर्ष), पिता–सोमर यादव सभी साकिनान धावाटॉड, थाना भेलवाघाटी जिला गिरिडीह के रक्त नमुने को अनुसंधानक द्वारा जाँच हेतु भेजा गया है। बलात्कार की पुष्टि एवं अभियुक्त का डी०एन०ए० प्रोफाईल प्राप्त करने हेतु मृतका मीना हॉसदा के बदन पर पाये गये कपड़े, अंतः वस्त्र एवं भेजाइनल स्वैव को जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, होटवार, राँची दिनांक–25.06.2013 को उपलब्ध करा दिया गया है। घटना के दिन घटनास्थल पर उपस्थित साक्षी झरी किस्कू के बयान में एक संदिग्ध व्यक्ति का हुलिया आया था, जिसके आधार पर अपराध अनुसंधान विभाग, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के सहयोग से उक्त संदिग्ध अभियुक्त का सकेच तैयार कराया गया है तथा स्केच के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हत्यारे को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	विधि विज्ञान प्रयोगशाला होटवार, राँची एवं अपराध अनुसंधान विभाग कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से संदिग्ध अभियुक्त का स्केच से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कांड में शामिल अभियुक्तों का उद्भेदन होने का संभावना है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स०(04)–47 / 2014–3982 राँची, दिनांक–03/08/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.14

सरकार के उप सचिव।

(36)

श्री चन्द्रिका महथा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.08.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड में उग्रवादियों द्वारा मेलवाघाटी एवं चिलखारी दो बड़े नरसंहार करने के पश्चात् दिनांक–04 जुलाई, 2014 को देवरी प्रखण्ड एवं जमुई सीमा पर सी०आर०पी०एफ० के डिप्युटी कमाडेन्ट हीरा कुमार झा को उग्रवादियों द्वारा मुठभेड़ में मार दिये जाने के पश्चात जमुआ, देवरी के निकट प्रखण्डों की जनता काफी भयभीत है। उग्रवादियों का मनोबल को तोड़ने हेतु जमुआ में पुलिस उपाधीक्षक का पदस्थापन जनहित में करने का विचार रखती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमुआ में पुलिस उपाधीक्षक का पदस्थापन यथाशीघ्र करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	खोरीमहुआ अनुमण्डल दिनांक–01.03.2014 से सृजित किया गया है। नवसृजित अनुमंडल में धनवार, गाँवा, तिसरी, देवरी एवं जमुआ प्रखण्ड शामिल है। सुरक्षा एवं विधि–व्यवस्था हेतु खोरीमहुआ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पद सृजित कर पदाधिकारी का पदस्थापन किया जायगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12 / वि०स०–8003 / 2014 5247 / राँची, दिनांक–03/08/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–177, दिनांक–14.02.2014 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.14

सरकार के उप सचिव।